# विश्वविद्यालयों में हो रहे शोध कार्यों की गुणवत्ता उन्नयन हेतु प्रयास

मोहम्मद यूनुस हुसैन*
मोहम्मद इरशाद हुसैन**

**विश्वविद्यालय का कार्य ज्ञान के वितरण के साथ ही ज्ञान का सृजन करना भी होता है। विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं शोध एक दूसरे के पूरक एवं परस्पर सहयोगी क्रियाएँ हैं। भारत में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों के अभाव के कारण प्रति वर्ष लगभग पाँच लाख भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। इसके साथ ही उपलब्ध भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों से डॉक्टरेट की डिग्री लेने वालों की सँख्या भी महज तीन लाख ही है। अतः भारत में उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में श्रेष्ठ संस्थानों को खोलने/संचालित संस्थानों के गुणवत्ता स्तर में वृद्धि करने, विद्यार्थियों में गुणवत्तायुक्त शोध करने एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त/प्रदान करने की क्षमता विकसित करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है।**

यदि विश्वविद्यालय ज्ञान का सृजन न कर केवल ज्ञान के वितरण तक ही सीमित हो जाता है तो वह विश्वविद्यालय नहीं वरन विद्यालय कहलाने के लायक है। विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य ज्ञान के वितरण के साथ ही ज्ञान के क्षेत्र से बाहर निकलकर अज्ञान के क्षेत्र में जाकर नए ज्ञान की खोज कर जनमानस तक पहुँचाना है। प्रो. यशपाल के अनुसार, जो ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाना सिखाए, वही विश्वविद्यालय है। हमारे आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है उस सबकी पढ़ाई, विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। विभिन्न विषयों के बीच बहुत झीनी दीवार होती है अतः शोध के स्तर पर एक विषय से दूसरे विषय में जाने की छूट मिलनी चाहिए। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को चाहिए कि वह अपने विषय की विशेषज्ञता को बचाए रखते हुए विभिन्न विषयों में

**वरिष्ठ अध्यापक*, प्राथमिक विद्यालय, भोजपुर रामनाथ, भूटा, बरेली, उत्तर प्रदेश.
***वरिष्ठ अध्यापक*, प्राथमिक विद्यालय, फतेहपुर, भूटा, बरेली, उत्तर प्रदेश.

जाकर ज्ञान का विकास करते रहें। प्रो. डी. एस. कोठारी के अनुसार विश्वविद्यालय की श्रेष्ठता उसके शिक्षकों की श्रेष्ठता पर निर्भर होती है। विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं शोध एक दूसरे के पूरक एवं परस्पर सहयोगी क्रियाएँ हैं। विश्व के उत्तम विश्वविद्यालयों की पहचान उनके यहाँ हो रहे शोधों का स्तर होता है। 'भारत विज्ञान रिपोर्ट' के अनुसार एक अरब से अधिक आबादी वाले भारत में डॉक्टरेटों की सँख्या महज तीन लाख है, जिसमें विज्ञान के डाक्टरेटों की सँख्या मात्र एक लाख है। यदि हमें विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे विद्यार्थी गुणवत्ता युक्त शोध करने एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त एवं प्रदान करने की क्षमता स्वयं में विकसित करें। ऐसा करने के लिए हमारे शिक्षकों को आधुनिकतम और कठिनतम विषयों को सरल, सरस, सुबोध बनाकर छात्रों तक पहुँचाने का प्रयास करना होगा। भारतीय उद्योग संगठन 'एसोचैम' की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी आदि देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए साढ़े चार लाख से भी अधिक भारतीय छात्र प्रतिवर्ष जाते हैं। इसका मुख्य कारण भारत में पर्याप्त सँख्या में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों का अभाव होना है। अतः भारत में उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में श्रेष्ठ संस्थानों को खोलने एवं अपनी मौलिक खोजों को वैश्विक बनाने के लिए हमें मिलकर पहल करनी होगी।

## प्रवेश प्रक्रिया

प्रायः विश्वविद्यालय के पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश शोधकर्ता एवं शोध पर्यवेक्षक की आपसी सहमति पर निर्भर होता है। शोध कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने एवं पीएच.डी. कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने का यह प्रथम एवं सबसे महत्त्वपूर्ण स्तर है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 में, एम.फिल. एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा कराने का प्रावधान किया गया है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है परन्तु अन्य पाठ्यक्रमों हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं की भाँति इसमें भी शिक्षा मफियाओं द्वारा धाँधली करने की पूरी संभावना रहेगी। अतः विश्वविद्यालयों को पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के साथ-साथ शैक्षणिक अभिलेख एवं साक्षात्कार को भी आधार बनाना चाहिए। प्रवेश परीक्षा को 40% अधिभार दिया जाए जिसमें शोध अधिक्षमता, विषय, भाषा (हिन्दी/अँग्रेज़ी) एवं कम्प्यूटर संबंधी प्रश्न सम्मिलित हों। इसके अतिरिक्त 40% अधिभार प्रवेशार्थी द्वारा परास्नातक पर प्राप्त अंकों को दिया जाना चाहिए, तदोपरान्त संयुक्त अधिभार 80% के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम सूची जारी कर उनका साक्षात्कार कराया जाए, जिसे 20% अधिभार दिया जाए। अन्त में प्रवेश परीक्षा, शैक्षणिक अभिलेख एवं साक्षात्कार पर प्राप्त अंकों के संयुक्त अधिभार के आधार पर विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय में कार्यरत संबंधित विषय के शिक्षकों के माँगपत्र के सापेक्ष अन्तिम चयनित शोधार्थियों की सूची जारी की जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शोध) विनियम, 2009 के अनुसार चयनित शोध छात्रों के लिए निरीक्षकों का विनियोजन

औपचारिक तरीके से विभागों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। व्यक्तिगत छात्र एवं शिक्षक पर निरीक्षक का आवंटन नहीं छोड़ा जाएगा। यह नियम तर्क संगत नहीं लगता क्योंकि पीएच.डी. कार्यक्रम लम्बी अवधि का होता है, जिसमें शोधकर्ता एवं शोध पर्यवेक्षक का बारम्बार विचार–विमर्श होता है। अच्छे वार्तालाप के लिए दोनों के व्यक्तित्व लर्निंग एवं टीचींग स्टाइल में कुछ समानता आवश्यक है। अत: शोध छात्र एवं शोध पर्यवेक्षक को भी एक दूसरे को चुनने के लिए न्यूनतम आवश्यक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय को पीएच.डी. कार्यक्रम हेतु चयनित शोधार्थियों एवं उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों की आपसी सहमति पत्र के आधार पर, निश्चित समय सीमा के भीतर शोधार्थी का पंजीकरण संबंधित पर्यवेक्षक के साथ करना चाहिए। इस कार्य में विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय के पर्यवेक्षक, उनकी योग्यता एवं उनके निर्देशन में पूर्ण एवं चल रही पीएच.डी. की जानकारी, शोध छात्रों को उपलब्ध कराने हेतु काउन्सिलिंग कार्यक्रम अपेक्षित हैं। शोधार्थियों का चयन करते समय पर्यवेक्षक को आरक्षण के नियमों का भी पालन करना चाहिए। ऐसा करने से समाज के योग्य एवं समाज के सभी वर्गों के शोधार्थियों को शोध करने का अवसर उपलब्ध हो सकेगा।

## शोध प्रक्रिया

शोधार्थियों का पर्यवेक्षक के साथ पंजीकरण होने के उपरान्त, विश्वविद्यालय को शोध छात्रों को शोध प्रक्रिया सिखाने के उद्देश्य से विविध विषयों की रिसर्च मैथडोलॉजी पर छह माह का सैद्धान्तिक कोर्स कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके व्यावहारिक पक्ष को सिखाने हेतु इन छह माह के भीतर ही संबंधित शोध पर्यवेक्षक द्वारा शोध छात्र से किसी एक सामान्य समस्या के निराकरण हेतु शोध–पत्र तैयार कराना चाहिए। ऐसा करने से शोधार्थी अपने विषय की शोध विधि के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्ष को सीख सकेगा, फलस्वरूप वह पीएच.डी. हेतु चयनित समस्या का अध्ययन गुणवत्तापूर्वक कर सकेगा। प्राय: शोधार्थी पीएच.डी. हेतु समस्या चयन के लिए अपने शोध पर्यवेक्षक पर निर्भर रहता है, जिससे शोध की मौलिकता प्रभावित होती है। अत: शोधार्थी को अपनी एकेडिमिक लाइफ में विषय से संबंधित आने वाली समस्याओं पर चिंतन एवं पर्यवेक्षक से विचार–विमर्श के उपरान्त स्वयं ही शोध समस्या का चयन करना चाहिए, जिससे शोध कार्य पूर्ण होने तक शोधार्थी में समस्या के समाधान के प्रति जिज्ञासा बनी रहने के कारण, शोध की गुणवत्ता में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। शोध समस्या के चयनोपरान्त शोधकर्ता, शोध कार्य प्रारम्भ कर देता है। समस्या से संबंधित साहित्य के गहन अध्ययन हेतु शोधार्थी विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं केंद्रीय संस्थानों के पुस्तकालयों का भ्रमण करता है, जिसके लिए काफी धन की आवश्यकता होती है। अत: विश्वविद्यालय को 'शोध सहायता कोश' की स्थापना कर शोधार्थियों को अपेक्षित छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था करनी चाहिए। हालाँकि विभिन्न केंद्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा शोध छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है परन्तु जो छात्र यह छात्रवृत्ति पाने से वंचित हैं उन्हें विश्वविद्यालय अपनी ओर से छात्रवृत्ति देकर शोधकार्य में आने

वाली धन संबंधी समस्याओं को कम कर सकता है, जिससे शोध की गुणवत्ता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। वैज्ञानिक विषयों के अनुसंधानों में प्रयोगशाला की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है अतः अनुसंधान केंद्रों की प्रयोगशालाओं को सभी आवश्यक संसाधनों एवं उपकरणों से सुसज्जित होना आवश्यक है। मानविकी विषयों के अनुसंधानों में अध्ययनरत चरों के मापन हेतु प्रमापीकृत परीक्षण भी विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान केंद्रों को उपलब्ध कराने हेतु धनापूर्ति करनी चाहिये। चूँकि शोध की गुणवत्ता, शोध के चरों के मापन हेतु प्रयुक्त उपकरणों पर निर्भर करती है अतः शोधकर्त्ता को मापन उपकरण के चयन में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। परीक्षण निर्माण सीखने की दृष्टि से प्रत्येक शोधकर्त्ता को अपने शोध से संबंधित किसी एक चर के मापन हेतु उपकरण स्वयं बनाना चाहिए तथा शेष चरों के मापन हेतु नवीनतम मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए।

विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों के अनुसंधान केंद्रों पर उच्चस्तरीय कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय की स्थापना की जानी चाहिये जिसमें संबंधित विषय की अधिकतम महत्त्वपूर्ण पुस्तकें, शोध पत्रिकाएँ, शोध सर्वे, एन्साइक्लोपिडिया, शब्दकोश, शोध ग्रंथ एवं इण्टरनेट आदि की व्यवस्था हो। वैश्वीकरण एवं तकनीकी के इस युग में शोधकर्ता को इण्टरनेट का उपयोग करने में दक्षता हासिल होनी चाहिए क्योंकि बिना इसके उपयोग से वह सूचनाओं के बहुत बड़े नेटवर्क से अनभिज्ञ रह जाता है। पुस्तकालय के खुलने का समय प्रातः 8 से रात्रि 12 तक होना चाहिए जिससे शोध छात्रों को पुस्तकालय जाने के लिए समय सीमा के बंधन से मुक्ति मिल सके तथा वह अधिकतम समय तक पुस्तकालय का प्रयोग कर सकें। शोध पर्यवेक्षकों की शोध योग्यता को उच्चीकृत करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय को प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए ताकि शिक्षक स्वयं को समय के अनुकूल अपग्रेड कर सकें। इसके साथ ही विश्वविद्यालय को विभिन्न विषयों के शोध छात्रों को विभिन्न विषयों की प्रकृति एवं शोध विधि का नवीनतम ज्ञान देने के लिए एकीकृत शोध कार्यशाला का वार्षिक आयोजन कराना चाहिए। प्रत्येक शोध छात्र को अपने शोध ग्रंथ से कम से कम दो शोध पत्र अपने शोध कार्य के दौरान, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वार्षिक सेमीनार में प्रस्तुत करने की अनिवार्य शर्त होनी चाहिए, जिससे शोध कार्य में सुगमता एवं गुणवत्ता बनी रहे। शोध ग्रंथ विश्वविद्यालय में जमा करने से पूर्व शोध छात्र को कम से कम एक शोध-पत्र राष्ट्रीय स्तर की शोध-पत्रिका में प्रकाशित कराना चाहिए जिससे उसकी शोध दक्षता प्रतिबिम्बित हो सके, साथ ही अग्रिम शेष शोध कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक पृष्ठपोषण प्राप्त हो सके। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शोध) विनियम, 2009 के अन्तर्गत निर्मित विनियम कि ''शोधग्रंथ प्रस्तुत करने के पूर्व छात्र को विभाग में एक साक्षात्कार देना पड़ेगा जो कि समस्त संकाय सदस्यों एवं शोध छात्रों के लिये खुला होगा ताकि टिप्पणियाँ एवं सुझाव प्राप्त हो सकें, जिनको निरीक्षक के सुझाव पर ड्रॉफ्ट शोध ग्रंथ में सम्मिलित किया जा सके'', भी एक स्वागत योग्य कदम है जिससे निश्चित रूप से शोध की गुणवत्ता बढ़ेगी।

## मूल्याँकन

प्राय: देखा जाता है कि शोध ग्रंथ विश्वविद्यालय में जमा करने के महीनों बाद भी बाबू संस्कृति के चलते शोध ग्रंथ के मूल्याँकन हेतु मूल्याँकन-कर्त्ताओं के नामों की सूची नहीं बन पाती है, तदोपरान्त दूसरा विलम्ब, मूल्याँकनकर्ताओं द्वारा व्यस्ताओं के चलते एक्सेप्टेंस रिपोर्ट को समय से न भेजने पर होता है जिसके कारण शोध ग्रंथ का मूल्याँकन अनावश्यक रूप से महीनों/वर्षों लटका रहता है। इस समस्या को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय को चाहिए कि वह शोधग्रंथ जमा करने के कुछ महीने पूर्व ही मूल्याँकनकर्ताओं के पैनल एवं उनकी एक्सेप्टेंस रिपोर्ट की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दें ताकि शोध ग्रंथ जमा होने तक मूल्याँकनकर्त्ता की ऐक्सेप्टेंस रिपोर्ट आ जाने पर शोध ग्रंथ को मूल्याँकनकर्त्ता के पास तुरन्त भेजना सुनिश्चित किया जा सके। इस व्यवस्था के लिए शोध पर्यवेक्षक को चाहिए कि वह शोधग्रंथ जमा होने के संभावित समय से छह माह पूर्व विश्वविद्यालय के रिसर्च सेल को सूचित कर दे ताकि विश्वविद्यालय पैनल एवं एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दे। शोधग्रंथ का मूल्याँकन गृह राज्य के एक विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य राज्य के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षक से कराया जाना चाहिए। दोनों परीक्षकों की जाँच आख्या आने के उपरान्त एक माह के भीतर शोध छात्र की मौखिक परीक्षा करा देनी चाहिए। मौखिक परीक्षा की पूर्व सूचना सभी विभागों के शिक्षकों एवं छात्रों को दी जानी चाहिए जिससे वे भी परीक्षा में प्रतिभाग कर शोध छात्र से प्रश्न पूछकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल. /पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने की घोषणा उपरान्त, शोध ग्रंथ की सॉफ्ट प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक माह के भीतर इस आशय के साथ प्रेषित करनी होगी कि उसको इन्फिलिबनेट पर डालकर समस्त संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराया जा सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शोध गुणवत्ता की दृष्टि से यह एक सराहनीय प्रयास है। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली पीएच.डी. डिग्री के आधार पर शोध ग्रंथों की गुणवत्ता में विभेदीकरण नहीं किया जा सकता है। अत: शोधग्रंथ की मूल्याँकन आख्याओं एवं मौखिक परीक्षा की आख्याओं के आधार पर पीएच.डी. डिग्री पर ग्रेड अंकित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दिए जाने पर शोध छात्र एवं पर्यवेक्षक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए शोध प्रक्रिया के दौरान कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे एवं उत्तम ग्रेड पाने पर अग्रिम शोध कार्य हेतु अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित हो सकेगें। इसके अतिरिक्त शोध परिणामों को शोध विषयों के ऊपर लागू कराने के प्रयास भी विश्वविद्यालय को करने चाहिए ताकि शोध समष्टि भी शोध परिणामों से लाभान्वित हो सके। इसके लिये विश्वविद्यालय को अपनी शोध पत्रिका प्रकाशित करानी चाहिए जिसमें सभी एवार्डेड़ पीएच.डी. शोधग्रंथों के सार को छापा जा सकें। आशा है कि यदि विश्वविद्यालय उपरोक्त सुझावों को अमल में ला सकें तो शोधकार्यों की गुणवत्ता में निश्चित रूप से उन्नयन हो सकेगा।

## संदर्भ

कुमार, निरंजन, *अभावों से घिरी उच्च शिक्षा*, दैनिक जागरण, 14 अक्टूबर 2008.

डोरायराज, ए. जोसफ, 2009. *ऐन्हेन्सिंग द क्वॉलिटी ऑफ पीएच.डी. थीसिस इन इंग्लिश,* यूनिवर्सिटी न्यूज, 47 (14), 16.

प्रसाद, एस.वी.के. 2006. *टीचिंग एण्ड रिसर्च इन हायर एजुकेशन– द प्रसेन्ट सिनैरियो,* यूनिवर्सिटी न्यूज, 44 (22), 11.

भारत का राजपत्र, *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग* (एम. फिल./पी–एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनिमय, 2009, भाग–III, खण्ड–4, पृष्ठ–4050, 4051, प्राधिकार से प्रकाशित, 11 जुलाई 2009.

मल्होत्रा, एस.पी. 2009. *एपिस्टोमोलोजिकल इश्यूज रिलेटिड टू क्वॉलिटी रिसर्च इन एजुकेशन,* यूनिवर्सिटी न्यूज, 47 (29), 4.

मुलिमणि, वी.एच. 2009. *टीचिंग एण्ड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज,* यूनिवर्सिटी न्यूज, 47 (17), 1.

यशपाल, *ज्ञान को मुक्त कीजिए : साक्षात्कार,* अमर उजाला, 25 मार्च 2009.

सिंह, आर.पी. 2008. क्वॉलिटी एश्योरेन्स इन एजुकेशनल रिसर्च – अ क्वेस्ट फॉर पासिबिलिटी, *यूनिवर्सिटी न्यूज,* 46 (48), 10.